प्रथम सूचना रिपोर्ट

{अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, पाली द्वितीय** थानाः– सीपीएस जयपुर **वर्ष 2022**
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 87/22 दिनांक 24.03.2022

2. (1) अधिनियम **2018** धारा **7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भादस**
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः–
(3) अधिनियम .... धाराये :–............................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 458 समय 6:00 PM
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **बुधवार, दिनांक 23.03.2022, समय 08:08 पी0एम0**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **08.03.2022 समय 6:58 ए0एम0**

4. सूचना की किस्म :– टेलिफोनिक / **लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी **:–चौकी से उत्तर पूर्व में करीब 210 कि0मी0 दूर।**
(ब) पता :– मानासर से कलेक्टर कार्यालय नागौर जाने वाली रोड़ पर जिला परिषद के साईड में सरस बूथ के पास मुख्य मार्ग पर।
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
श्री रमेशपाल पुत्र री अमरसिंह गॉव सलेमपुर बॉगर तहसील जंगाधरी यमुनानगर, पुलिस थाना सदर जंगाधरी, हरियाणा हाल किराये पर वाटर बॉक्स चौराहा, एमडीएच के पास, हाउसिंग बोर्ड, नागौर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मगाराम जाति नायक उम्र 33 वर्ष पेशा नौकरी निवासी नारावली पुलिस थाना अनुपगढ़ तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर

2. श्री विरेन्द्र सांगवा पुत्र श्री रामकिशोर सांगवा जाति जाट उम्र 24 वर्ष, पैशा खेती, निवासी गांव–तरनाउ, तहसील जायल, जिला नागौर

3. श्री पूनाराम पुत्र श्री मोहनराम जाति जाट, निवासी मांझी पुलिस थाना डेगाना जिला नागौर व अन्य।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–............................

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पतिया का कुल मूल्य **ट्रेप राशि 94,000/–रू0 .**

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो)............................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

सेवामें,

श्रीमान अति. पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों,
पाली।

विषय :– रिश्वत मांगने वाले के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत।

महोदयजी,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे निवेदन है कि मै वर्तमान में ग्राम पंचायत पॉचला सीधा प.स. खीवसर जिला नागौर द्वारा करवाये जा रहे नरेगा कार्य मे सामग्री (सी.सी. ब्लाक, डस्ट, ईट आदि) सप्लाई का कार्य करता हूं तथा पांचला के संरपच श्री राजेन्द्रसिह मेरे मित्र भी है। ग्राम पंचायत पांचला के नरेगा कार्य की स्वीकृति आदि कार्य के लिए जिला परिषद नागौर के कार्य मै ही देखता हूं गत– 15–20 रोज पहले राजेन्द्रजी संरपच पांचला ने मुझे कहा कि सितम्बर 2021 से अब तक चार प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये है। जिनमे से माह सितम्बर 2021 के प्रस्ताव के तीन काम ही स्वीकृत किए बाकी चारो प्रस्तावो कार्यो की जिला परिषद द्वारा स्वीकृति नही की गई है इसलिए आप सम्बधित अधिकारियो/कर्मचारियो से मिलकर स्वीकृत करवावो जिस पर मै श्री राजेन्द्र जी सरपंच ग्राम पचायत पाचला के कहने पर कल दिनांक 07–03–2022 को जिला परिषद नागौर के सम्बधित बाबु श्री सुरेश कुमार से मिला तो उसने प्रस्तावो, कार्यो की स्वीकृति हेतु सामग्री की राशि का 3 % प्रतिशत व टांको के प्रत्येक टाके के हजार रूपये के हिसाब से 20,000/– रूपये की अपने व XEN श्री रमजान अली खा के लिए रिश्वत की मांग की तथा कहा कि कल आफिस आ जाता मै प्रस्ताव देखकर आपको बता दूंगा कि आपको उक्त चारो प्रस्तावो की शेष स्वीकृतिया जारी करवाने हेतू 3 प्रतिशत के हिसाब से कितनी राशी देनी होगी सुरेश कुमार एक शातीर भ्रष्ट व बहुत ही चालाक है तथा बिना पैसे किसी का काम नहीं करता है तथा रिश्वत की मांग भी मुह से नही कर पेपर पर लिखकर या हाथ से इशारा कर मागता है। इसलिए उसके मागने पर मैने उस वक्त 15000/– रूपये दिए उक्त बात मैने श्री राजेन्द्र जी संरपच ग्राम पचायत पाचला से बात कर बताई है तथा मै उनके कहे अनुसार आज कार्यलय जिला परिषद नागौर मे जाकर जब सुरेश कुमार से मिलूगा तो श्री सुरेश कुमार ग्राम पंचायत पाचला के नरेगा कार्यो के प्रस्ताव देख कर रिश्वत राशि की मॉग अपने व XEN श्री रमजान अली के लिए करेगा। मै श्री सुरेश कुमार को जायत काम की ऐवज मे रिश्वत नही दे कर उन्हे रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़वाना चाहता हू मेरी श्री सुरेश कुमार से कोई दुश्मनी या लेन–देन बकाया नही है।

अतः– रिर्पोट प्रस्तुत कर निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करावे।

दिनांक 08–03–2022

भवदीय
सही/–
रमेशपाल S/o अमरसिंह
गॉव सलेमपुर बॉगर तहसील
जगाधरी यमुनानगर
हरियाणा

एसडी कानाराम	एसडी मोहम्मद शाहिद	एसडी सीताराम नि.पु.	एसडी महिपाल उ.अ.पु.
15.03.2022	15.03.2022	08.03.2022	08.03.2022

<u>कार्यवाही पुलिस दिनांक 08.03.2022 समय 06.58 ए0एम0</u>

इस समय परिवादी श्री रमेशपाल नें अपने मोबाईल नं. 87087–41946 से श्री महिपाल उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नं. 9414577001 पर कॉल कर बताया कि मै वर्तमान में ग्राम पंचायत पांचला सिद्धा जिला नागौर द्वारा करवाये जा रहे नरेगा कार्यो में सामग्री सप्लाई कार्य करता हूं तथा पांचला के सरपंच श्री राजेन्द्रसिंह मेरे मित्र भी हैं। ग्राम पंचायत पांचला के नरेगा कार्य की स्वीकृति आदि कार्य के लिये जिला परिषद नागौर के कार्य मैं ही देखता हूं। गत 15–20 रोज पहले राजेन्द्रजी सरपंच ने मुझे भेजे गये पैण्डिंग कार्यो के प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु संबंधित अधिकारी से मिलने का कहने पर मै कल दिनांक 07.03.2022 को जिला परिषद नागौर के संबंधित बाबू श्री सुरेश कुमार से मिला तो उसने प्रस्तावों के कार्यो की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों के सामग्री पेटे दी जाने वाली राशि का 3 प्रतिशत एवं टांको के प्रत्येक टांके के 1,000 रूपये के हिसाब से कुल 2,00,000 रूपये अपने स्वंय एवं एक्सईएन श्री रमजान अली खां के लिये रिश्वत की मांग की तथा कल मुझे अपने कार्यालय बुलाया है एवं कहा है कि कल प्रस्ताव देखकर के 3 प्रतिशत से बनने वाली सटीक राशि बता दूंगा। मैं सुरेश कुमार को जायज काम की ऐवज में